प्रेमिका की हत्या के बाद प्रेमी ने भी की आत्महत्या

नवभारत न्यूज

पन्ना, 10 जून। पवई नगर के वार्ड क्रमांक 14 स्थित अंबेडकर पार्क क्षेत्र में बुधवार दोपहर एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। प्रेम प्रसंग से जुड़े विवाद में एक महिला की हत्या कर दी गई, जिसके बाद आरोपी युवक ने भी आत्मघाती कदम उठा लिया। घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार रजनी शुक्ला उम्र 37 वर्ष, निवासी चौमुखा, की शादी सुनवानी में हुई थी। वह पिछले लगभग चार माह से अपनी बेटी के साथ अंबेडकर पार्क क्षेत्र में लक्ष्मी सोनी के मकान में किराए से रह रही थीं। बताया जा रहा है कि छोटी सुनवानी निवासी सुरेंद्र तिवारी 38 वर्ष के साथ उनका लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। सूत्रों के अनुसार बुधवार दोपहर करीब 12 बजे सुरेंद्र तिवारी महिला के किराए के मकान पर पहुंचा। दरवाजा खुलने के बाद वह अंदर चला गया और महिला के साथ मौजूद बेटी को बाहर भेज दिया। इसके बाद दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि विवाद के दौरान सुरेंद्र तिवारी ने धारदार हथियार से रजनी शुक्ला पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने भी स्वयं पर उसी हथियार से वार कर आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई। सूचना मिलने पर पवई एसडीओपी भावना दांगी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचीं और मौके का निरीक्षण किया। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

प्रारंभिक तौर पर घटना प्रेम प्रसंग और आपसी विवाद से जुड़ी बताई जा रही है, हालांकि वास्तविक कारणों का खुलासा जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो सकेगा। घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक और चिंता का माहौल व्याप्त है।

अगस्त मुनि आश्रम में भगवान शिव का हुआ पूजन

सलेहा, 10 जून। सलेहा समीपस्थ अगस्त मुनि आश्रम सिद्ध नाथ मंदिर में भाजपा कार्यकर्ताओं एवं क्षेत्रीय धर्म प्रेमियों द्वारा सामूहिक रुप से उपस्थित होकर भगवान शिव का अभिषेक के साथ पूजन आरती कर उपस्थित धर्माचार्यों का सम्मान किया गया। यह कार्यक्रम केन्द्र सरकार में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 12 बर्ष पूर्ण होने पर राष्ट्र की समृद्धि एवं विकसित भारत को मजबूत करने के लिए आयोजित किया गया। यह आयोजन भाजपा मंडल अध्यक्ष हरेंद्र त्रिपाठी सलेहा के नेतृत्व में संपन्न हुआ। इस आयोजन में क्षेत्रीय धर्म प्रेमी सहित भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता सहित आम जन शामिल हुए।

पॉलीटेक्निक महाविद्यालय में प्रवेश के द्वितीय चरण का रजिस्ट्रेशन प्रारम्भ

नवभारत न्यूज

पन्ना, 10 जून। संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश द्वारा जारी ऑनलाइन काउंसलिंग समय-सारणी वर्ष 2026-27 के अनुसार शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय, पन्ना में विभिन्न डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश प्रक्रिया संचालित है तथा प्रथम चरण के अलॉट्मेंट पश्चात दिनांक 09 जून से 13 जून तक प्रवेश की कार्यवाही प्रचलन में है।

द्वितीय चरण के अंतर्गत ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया 09 जून से 18 जून तक संचालित की जाएगी। इच्छुक अभ्यर्थी इस अवधि में पंजीयन कर अपनी पसंदीदा संस्थाओं एवं पाठ्यक्रमों का चयन कर सकते हैं। पंजीयन में सुधार की सुविधा 19 जून से 20 जून तक उपलब्ध रहेगी। इसके पश्चात मेरिट सूची जारी होने एवं सीट आवंटन की प्रक्रिया निर्धारित तिथियों के अनुसार पूर्ण की जाएगी।

शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय पन्ना तथा पवई के प्राचार्य अरविंद कुमार त्रिपाठी ने बताया कि पॉलीटेक्निक महाविद्यालय पन्ना में मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग तथा मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच संचालित हैं जिनमें प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी इसके अलावा शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय पवई में सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एवं इलेक्ट्रानिक्स एण्ड टेक्नोलोजी ब्रांच संचालित है। द्वितीय चरण की काउंसलिंग पश्चात संस्थागत स्तर की काउंसलिंग के माध्यम से रिक्त सीटों पर प्रवेश 04 जुलाई से 12 अगस्त तक किया जाएगा। श्री त्रिपाठी ने बताया कि संस्थान में आधुनिक लैब, अनुभवी संकाय एवं रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों के माध्यम से छात्रों को उत्कृष्ट तकनीकी शिक्षा प्रदान की जाती है।

पीड़ित परिवार से मिला सवर्ण कर्मचारी अधिकारी संगठन

बुलडोजर कार्रवाई की मांग

नवभारत न्यूज

पन्ना, 10 जून। विगत दिनों युवक की प्रताड़ना से तंग आकर जहर खाकर आत्महत्या करने वाली बीएससी फाइनल की कॉलेज टॉपर छात्रा श्रृष्टि मिश्रा के गृह ग्राम लोढ़ा पुरवा में शोक का माहौल है।

गत दिनांक 9 जून को विभिन्न सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों ने मृतिका के गृह ग्राम पंचायत लोढ़ा पुरवा पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। सवर्ण कर्मचारी अधिकारी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अजय तिवारी, अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के पन्ना जिला अध्यक्ष देवेंद्र पाठक और अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रवि रावत सहित अजयगढ़ ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ जनों ने मृतिका के पिता सुरेश मिश्रा एवं अन्य परिजनों से भेंट की। समाज के प्रतिनिधियों ने शोक संतप्त परिवार को ढांढस बंधाया और न्याय की इस लड़ाई में हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया।

पिता की आपबीती सुन नम हुई आंखें - मुलाकात के दौरान जब पीड़ित पिता सुरेश मिश्रा ने अपनी होनहार और टॉपर बेटी को खोने का दर्द बयां किया, तो वहां मौजूद सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। उपस्थित सामाजिक कार्यकर्ताओं ने इस घटना को अत्यंत हृदय विदारक बताते हुए दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की।

आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग

मामले में पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि, पीड़ित परिवार और समाज में इस घटना को लेकर भारी आक्रोश है। परिवार जनों ने मांग की है कि आरोपी के खिलाफकेवल जेल भेजने की कार्रवाई काफी नहीं है। भविष्य में किसी अन्य की बेटी के साथ ऐसी हैवानियत न हो, इसके लिए आरोपी के अवैध मकान पर प्रशासन का बुलडोजर चलाया जाना चाहिए।

नियम विरुद्ध बिना पंजीयन के धड़ल्ले से चल रहे होटल एवं लॉज

कुछ होटल -लॉज बने अय्याशी के सुरक्षित ठिकाने

नवभारत न्यूज

पन्ना, 10 जून। पन्ना जिला मुख्यालय सहित तहसील मुख्यालयों में राजनैतिक एवं प्रशासनिक संरक्षण में खुलेआम नियमविरूद्ध होटल एवं लॉज संचालित हो रहे है, क्योंकि कुछ प्रशासनिक अधिकारियों एवं राजनेताओं को फ्री में उनके कार्यक्रमों एवं अतिथियों को रूकने एवं मेहमानबाजी की पूरी व्यवस्थाएं उक्त अवैध होटल लॉज संचालक करते है।

जिसके एवज में वे नियम कायदों को दरकिनार करते हुये मनमाना किराया भी वसूल कर रहे है। कुछ पन्ना शहर में नियम विरुद्ध संचालित लॉज, अय्यासी और देह व्यापार का ऐशगाह बने हुए हैं।

जहां दिन दहाड़े प्रेमी जोड़े और मनचले रईसजादों की भूख मिटाने का इंतजाम किया जाता है और बदले मे मुंहमांगी कीमत वसूली जाती है ऐसे कृत्यों और कारनामों के प्रचलित माहौल में अन्य मोहल्लेवासी अपने परिवार बच्चों के साथ सुरक्षित महसूस करते है। लोगो का कहना है कि यदि इसी तरह का काम शहर में चलता रहा तो लोगो के सब्र का बांध टूट सकता है और कोई बड़ी अनहोनी भी हो सकती है।

होटल, लॉज संचालित करने के नियम

मध्यप्रदेश में लाज/होटल/सराय चलाने के लिए मुख्यरूप से भारतीय सराय अधिनियम 1867 म.प्र. पुलिस/ जिला प्रशासन के नियम नगर निगम/ पर्यटन विभाग के नियम लागू होते हैं। जिससे अनिवार्य रजिस्ट्रेशन - सराय अधिनियम 1867 के अंतर्गत लाज संचालक द्वारा जिला मजिस्ट्रेट को नोटिस लॉज शुरू करने के 1 महीने के अंदर कलेक्टर या एडिशनल कलेक्टर को लिखित नोटिस देना जरूरी है। बिना रजिस्ट्रेशन के किसी भी यात्री को ठहरा नहीं सकते। कलेक्टर चाहे तो चरित्र प्रमाण-पत्र मांगकर रजिस्ट्रेशन मना भी कर सकता है। वहीं लॉज के बाहर पंजीयन क्रमांक विधिवत नाम मालिक का नाम या प्रबंधक का नाम व फोन नंबर साफ-साफ लिखा होना चाहिए। लेकिन पन्ना जिले में दर्जनो लाज संचालित है जहा नियम कायदो को ताक पर रखकर सारे अवैध कार्य धड़ल्ले से जारी है।

लड़की देखने आए युवक की वाहन की टक्कर से मौत

नवभारत न्यूज

पन्ना, 10 जून। थाना रैपुरा के ग्राम पिपरिया कला निवासी राजकरण साहू उम्र 25 वर्ष की अमानगंज-गुनौर रोड पर गैस गोदाम के पास एक अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मृतक राजकरण अपने बड़े भाई नारायण साहू उम्र 45 वर्ष के साथ 8 जून को झरकुआ गांव में शादी के लिए लडकी देखने आया था। लड़की देखने के बाद, राजकरण फ्रेश होने की बात कहकर अपनी मोटरसाइकिल से अमानगंज की तरफनिकला था। जब राजकरण काफी देर तक वापस नहीं लौटा, तो नारायण साहू ने उसके मोबाइल पर कई बार फोन किया। कुछ देर बाद पुलिस स्टाफने फोन उठाया और बताया कि गैस गोदाम के पास राजकरण का एक्सीडेंट हो जाने से उसकी मृत्यु हो गई है।

घटना की रात पारिवारिक सदस्यों के न पहुंच पाने के कारण रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकी थी। अगले दिन मृतक के भाई नारायण साहू की शिकायत पर अमानगंज पुलिस ने अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ बीएनएस की धारा 281, 106(1) और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 के तहत अपराध दर्ज कर मामला जांच में लिया है।

समस्याओं का निराकरण न होने से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू

नवभारत न्यूज

पन्ना, 10 जून। स्थानीय समस्याओं के निराकरण में हो रही देरी और प्रशासनिक उदासीनता के विरोध में शाहनगर के युवाओं ने सोमवार से तहसील परिसर में बरगद के पेड़ के नीचे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया।

सुबह करीब 11 बजे शुरू हुए इस शांतिपूर्ण आंदोलन में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लेकर क्षेत्र की विभिन्न जनसमस्याओं के समाधान की मांग की। धरना दे रहे युवाओं का कहना है कि वे पिछले कई वर्षों से विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रशासन को ज्ञापन, आवेदन और शिकायतें सौंपते रहे हैं लेकिन अधिकांश मामलों में न तो कोई ठोस कार्रवाई हुई और न ही स्थायी समाधान निकल पाया। उनका आरोप है कि जनहित से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को गंभीरता से लेने के बजाय केवल आश्वासन देकर टालने का प्रयास किया गया। आंदोलनकारियों ने जिन प्रमुख मांगों को उठाया है।

उनमें क्षेत्र में संचालित कथित अवैध क्लीनिकों की जांच कर कार्रवाई करना, तेंदुघाट परियोजना से प्रभावित ग्राम मड़ैयन के किसानों को उचित मुआवजा दिलाना, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, कॉलेज में पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित करना, तहसील एवं जनपद कार्यालयों में कथित भ्रष्टाचार की जांच, ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों की अनियमितताओं पर कार्रवाई, जर्जर सड़कों की मरम्मत, पेयजल संकट का समाधान तथा स्वच्छता एवं शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता शामिल हैं। युवाओं का आरोप है कि क्षेत्र में संचालित अवैध क्लीनिकों के संबंध में 28 मई को संबंधित अधिकारियों को आवेदन दिया गया था लेकिन शिकायतों के बावजूद अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। उनका कहना है कि इससे आमजन के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। धरनास्थल पर मौजूद युवाओं ने स्पष्ट किया कि उनका आंदोलन किसी राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित नहीं है बल्कि क्षेत्र की जनता की वास्तविक समस्याओं को लेकर शुरू किया गया जनआंदोलन है।

उनका कहना है कि जब लोकतांत्रिक माध्यमों से दिए गए ज्ञापन और आवेदन भी प्रशासन का ध्यान आकर्षित करने में सफल नहीं हुए तब उन्हें धरना प्रदर्शन का रास्ता अपनाना पड़ा। आंदोलनकारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करते हुए समयबद्ध कार्रवाई शुरू नहीं की जाती तब तक उनका धरना जारी रहेगा।

रेलखंड पर ट्रायल रन हुआ

नवभारत न्यूज

पन्ना, 10 जून। पश्चिम मध्य रेलवे द्वारा फुलवारी से देवेंद्रनगर के बीच निर्मित नए रेलखंड का विस्तृत निरीक्षण एवं ट्रायल रन किया गया। 10 जून की सुबह विशेष निरीक्षण ट्रेन से फुलवारी स्टेशन पहुंचकर निरीक्षण प्रक्रिया शुरू की गई।

फुलवारी स्टेशन पर दस्तावेजों और तकनीकी अभिलेखों की जांच की एवं उसके बाद विशेष ट्रेन फुलवारी से देवेंद्रनगर तक लगभग 15 किलोमीटर प्रतिघंटा की गति से दौड़ी। अभी उक्त ट्रैक पर ज्योमेट्री, पुल-पुलिया, सिग्नलिंग व्यवस्था, विद्युत एवं दूरसंचार तंत्र सहित सभी तकनीकी पहलुओं की गहन जांच की जाएगी। उक्त अवसर पर विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी, इंजीनियर और तकनीकी दल निरीक्षण के दौरान मौजूद रहा। सुरक्षा व्यवस्था के लिए आरपीएफ और स्थानीय प्रशासन को भी आवश्यक निर्देश जारी किए गए थे। उक्त ट्रायल को देखने के लिये लोगो की भीड़ भी रेलवे स्टेशन ट्रेन को देखने पहुंची। इस प्रकार आज रेलवे ट्रेक पर रेल का ट्रायल संपन्न हुआ।

दलालों का भी नियमित कर्मचारियों की तरह दखल

पन्ना, 10 जून। जिले की कुछ तहसीलों में ऐसे लोग भी शासकीय कर्मचारियों की भांति काम करने लगते हैं जो न तो नियमित कर्मचारी होते और न ही संविदा कर्मचारी। यह भी देखा जाता है कि तहसीलों में जो कर्मचारी सेवा निवृत हो जाते है कई बार उन्हें भी नियमित कर्मचारियों की भांति रख लिया जाता है। जबकि उन्हें न तो कोई वेतन मिलता और न ही कोई सुविधा। फिर भी वे काम करते रहते हैं। बड़ा सवाल यह भी है कि जिला स्तर से तहसीलों का निरीक्षण भीहोता रहता है किन्तु उस समय भी ऐसे अबैध कर्मचारियों की पहचान नहीं होती। किन्तु जब कभी ऐसे मामले लोकायुत की पकड़ में आते हैं।

किराना व्यापारी ने की आत्महत्या

पन्ना, 10 जून। पन्ना जिले के अमानगंज से एक बेहद दुखद खबर आई है, जहां एक किराना व्यापारी ने अपनी ही दुकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है और क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूरा मामला अमानगंज नगर के दुबे मोहल्ला स्थित किशनगढ़ रोड का है। यहाँ शुभ ट्रेडर्स नाम की किराना दुकान चलाने वाले लगभग 50 वर्षीय रामभद्र तिवारी निवासी उड़ला, हाल निवास अमानगंज ने दुकान के भीतर ही अज्ञात कारणों के चलते फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। स्थानीय लोगो के अनुसार मंगलवार शाम करीब 5 बजे एक ग्राहक सामान लेने के लिए दुकान पर पहुंचा था। दुकान का शटर आधा बंद था। ग्राहक ने बाहर से कई बार आवाज लगाई, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला।

फायर सेफ्टी सिस्टम तैयार, धुआं उठते ही बजेगा अलार्म

नवभारत न्यूज

पन्ना, 10 जून। आग लगने की घटनाओं से सबक लेते हुए जिला अस्पताल में 89.99 लाख रूपये की लागत से नया फायर सेफ्टी सिस्टम तैयार किया गया है। नया सिस्टम सेंसरयुक्त है जो कि धुआं उठते ही स्प्रिंकलर पानी छोड़ने लगेगा।

इससे आग लगने जैसी घटना में बचाव किया जा सकेगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने जिला अस्पताल में नए फायर सेफ्टी सिस्टम के लिए 89 लाख 99 हजार रूपये की राशि स्वीकृत किए गए। नए निर्माण की वजह से काम में विलंब हुआ। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया, फायर सेफ्टी सिस्टम का काम पूरा हो चुका है, अप्रैल माह से यह उद्घाटन के बाद वर्किंग में आ जाएगा।

स्प्रिंकलर में लगा होगा सेंसरः- अस्पताल की सभी इकाईयों ओपीडी, पैथोलॉजी, वार्ड, रसोई सहित अन्य सभी इकाईयों में भी पाइप लाइन बिछाई गई है। बताया गया कि पाइप लाइन में छोटे छोटे नोजल यानी स्प्रिंकलर लगाए गए हैं। जिनमें एक प्रकार का सेंसर है जो कि धुआं उठने के साथ ही अलट्र के लिए आलार्म बजेगा। इसके बाद सभ्जी स्प्रिंकलर पानी छोडने पानी छोड़ने लगेगे।

अभी नहीं थे पर्याप्त इंतजामः- जिला अस्पताल भवन में फायर सेफ्टी के कोई इंतजाम नहीं थे। आग से सुरक्षा के नाम पर सिर्फअग्निशामक यंत्र ही लगे हुए इनका काम भी निजी एजेंसी देखती है। इसके अलावा बिजली की पुरानी वायरिंग की वजह से शॉर्ट सर्किट की आशंका रहती है। ऐसे में फायर सेफ्टी सिस्टम से आग लगने जैसी घटनाओं का जोखिम कम हो जाएगा।

1.50 लाख लीटर का अंडर वॉटर टैंक

जिला अस्पताल परिसर में फायर सिस्टम के लिए मजार की ओर अंडर वॉटर टैंक बनाया गया है। यह वॉटर टैंक 150 लाख लीटर पानी स्टोरेज की क्षमता का है। अस्पताल के सभी वार्ड, इकाईयों और कार्यालय में पाइप लाइन बिछाई गई है। वार्ड, इकाईयों की पाइप लाइन को वॉटर टैंक और मेन सिस्टम से जोडा गया है।

बिना लिखित कारण बताये अब पुलिस किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती

नवभारत न्यूज

पन्ना, 10 जून। पुलिस कार्रवाई को लेकर एक बड़ा और अहम बदलाव सामने आया है। अब किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले पुलिस को गिरफ्तारी के ठोस कारण लिखित रूप में बताना अनिवार्य होगा। पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में सभी पुलिस अधीक्षक और संबंधित इकाइयों को स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं।

नए निर्देशों के अनुसार, गिरफ्तारी से कम से कम दो घंटे पहले आरोपी को लिखित सूचना देना आवश्यक होगा। केवल मौखिक जानकारी को पर्याप्त नहीं माना जाएगा। यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट की उस रूलिंग के अनुपालन में लागू की गई है, जिसमें गिरफ्तारी के दौरान नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सुरक्षा पर जोर दिया गया था। पुलिस मुख्यालय का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य विधिसम्मत कार्रवाई के साथ-साथ आम नागरिक के अधिकारों की पूरी तरह रक्षा करना है। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी यह सर्कुलर नवंबर 2025 में आपराधिक अपील स्टेट ऑफमहाराष्ट्र एवं अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश के पालन में लागू किया गया है। उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में स्पष्ट किया था कि भारतीय संविधान के ''अनुच्छेद 22(1)'' के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी मिलना उसका मौलिक अधिकार है। नई व्यवस्था के तहत गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को यह सुनिश्चित करना होगा कि गिरफ्तारी के कारण स्पष्ट और ठोस रूप से लिखित में दिए जाएं।

पुलिस मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि अब आरोपी को केवल मौखिक रूप से गिरफ्तारी का कारण बताना पर्याप्त नहीं माना जाएगा। लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा, ताकि गिरफ्तार व्यक्ति अपने अधिकारों को भली-भांति समझ सके।

निर्देशों का पालन नहीं किया तो गिरफ्तारी होगी अवैध

पुलिस मुख्यालय ने अपने सर्कुलर में यह भी स्पष्ट किया है कि अगर इन निर्देशों का पालन नहीं किया जाता है, तो संबंधित गिरफ्तारी को अवैध घोषित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में संबंधित अधिकारियों के खिलाफन्यायालय की अवमानना या विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा अभियुक्त को तत्काल रिहा करने का अधिकार भी प्राप्त हो सकता है। अपराध अनुसंधान विभाग, पुलिस मुख्यालय ने इस संबंध में सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और संबंधित इकाइयों को निर्देश दिए हैं।

स्थानीय भाषा में दी जाएगी गिरफ्तारी की जानकारी

निर्देशों में यह भी कहा गया है कि गिरफ्तारी के कारणों को स्थानीय भाषा या ऐसी भाषा में लिखा जाए, जिसे गिरफ्तार किया गया व्यक्ति आसानी से समझ सके। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जानकारी केवल औपचारिक न रहे, बल्कि वास्तविक रूप से आरोपी तक पहुंचे। पुलिस मुख्यालय के अनुसार, यह लिखित जानकारी गिरफ्तारी के समय या आरोपी को मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करने से कम से कम दो घंटे पूर्व उपलब्ध कराई जानी चाहिए, साथ ही गिरफ्तारी के दौरान दी गई लिखित जानकारी को गिरफ्तारी पंचनामा या संबंधित आधिकारिक अभिलेख में विधिवत दर्ज करना भी अनिवार्य किया गया है।

वार्ड क्र. 14 में 15 लाख की लागत से बनेगा सामुदायिक भवन

नवभारत न्यूज

पवई 10 जून। नगर के वार्ड क्रमांक 14 में मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग निधि से स्वीकृत 15 लाख रुपये की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन का भूमि पूजन समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्षए मुख्य नगर पालिका अधिकारी ;सीएमओद्ध एवं वार्ड पार्षद सहित स्थानीय जनप्रतिनिधि और नागरिक उपस्थित रहे।

भूमि पूजन कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने कहा कि सामुदायिक भवन के निर्माण से वार्डवासियों को सामाजिकए सांस्कृतिक एवं सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध होगी। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग निधि से स्वीकृत इस निर्माण कार्य से क्षेत्र के विकास को नई गति मिलेगी।

कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों ने निर्माण कार्य को निर्धारित समय.सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराने का आश्वासन दिया। वहीं स्थानीय नागरिकों ने सामुदायिक भवन की स्वीकृति पर खुशी व्यक्त करते हुए जनप्रतिनिधियों का आभार जताया।

कार्यक्रम में वार्ड क्रमांक 14 में मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग निधि से बनने वाले सामुदायिक भवन का भूमि पूजन करते नगर परिषद अध्यक्षए सीएमओ एवं वार्ड पार्षद वह नागरिक।

फर्जी चिकित्सक एवं दवा व्यापारी बनकर ठगी करने वाला शातिर आरोपी उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार

नवभारत न्यूज

पन्ना, 10 जून। पुलिस अधीक्षक पन्ना श्रीमती निवेदिता नायडू के निर्देशन एवं एसडीओपी अजयगढ़ राजीव सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में थाना बृजपुर पुलिस द्वारा अंतरराज्यीय जालसाजों और ठगों के विरुद्ध बड़ी और प्रभावी कार्रवाई की गई है।

हासिल जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के अंतर्गत आवेदिका मनीषा यादव उम्र 26 वर्ष, निवासी ग्राम सुकवाहा, हाल निवास पहाड़ीखेड़ा, थाना बृजपुर की लिखित शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक अत्यंत शातिर गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोपी दीपक कुमार रैकवार पिता बलराम रैकवार, निवासी पून, तहसील बबेरू, जिला बांदा, उ.प्र. विगत 8-9 माह से पहाड़ीखेड़ा में स्वयं को प्राइवेट चिकित्सक एवं दवा व्यापारी बताकर किराए के मकान में रह रहा था। इस दौरान उसने और उसकी पत्नी माया उर्फ रचना ने क्षेत्र के सीधे-साधे लोगों को झांसा देकर उनका विश्वास जीता। आरोपी ने अपने मकान मालिक विप्र मिश्रा को दवा व्यापार में पार्टनरशिप करने और थोक में दवाइयां दिलाने का झांसा देकर 3,60,000 हड़प लिए। इसके अतिरिक्त, आरोपी ने नौकरी लगवाने के नाम पर 2,00,000 ऐंठे तथा फरियादिया मनीषा यादव एवं एक अन्य महिला रीना रैकवार से सोने-चांदी के गहने व अन्य परिचितों से भी छल-कपट कर अलग-अलग किश्तों में कुल 6,50,000 की धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी मौका पाकर पीड़ितों के कीमती आभूषण और नकदी लेकर रातों-रात फरार हो गया था। आवेदिका की रिपोर्ट पर थाना बृजपुर में आरोपियों के विरुद्ध अपराध दर्ज कर भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) छ्छल-कपट और धोखाधड़ी, के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। थाना प्रभारी बृजपुर के नेतृत्व में गठित विशेष पुलिस टीम ने आरोपी के गृह राज्य उत्तर प्रदेश में घेराबंदी की गई और मुख्य आरोपी दीपक रैकवार को बबेरू (उत्तर प्रदेश) से सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तारी के पश्चात आरोपी को न्यायालय में पेश कर उसका पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया। रिमांड के दौरान कड़ाई से पूछताछ में आरोपी की निशानदेही पर स्थानीय पहाड़ीखेड़ा एवं बबेरू, उत्तर प्रदेश से कुल 2,20,000 रूपये मूल्य का मशरूका बरामद किया गया है। प्रकरण की सह-आरोपी (पत्नी) माया उर्फरचना वर्तमान में फरार है, जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीमें लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही हैं। उक्त संपूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी ब्रजपुर शक्ति प्रकाश पाण्डेय एवं पुलिस टीम के सदस्यों का सराहनीय योगदान रहा।